



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274041
CG-DL-E-03072026-274041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3361]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3361]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

का.आ. 3496(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद-मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप/आपत्ति कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद-मैनपुरी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं, और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद-मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मैनपुरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भोगांव					
गांव का नाम: गजियाँपुर					
1	20	सामान्य	कृषि/गैर कृषि	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
2	21	सामान्य	कृषि/गैर कृषि	0.1072 (हेक्टेयर)	0.1072
3	22	निजी	कृषि	0.1176 (हेक्टेयर)	0.1176
4	63	सरकारी	गैर कृषि	0.1736 (हेक्टेयर)	0.1736
5	64	सरकारी	गैर कृषि	0.0892 (हेक्टेयर)	0.0892
6	65	सरकारी	गैर कृषि	0.0809 (हेक्टेयर)	0.0809
7	66	निजी	कृषि	0.0451 (हेक्टेयर)	0.0451
8	67	सरकारी	गैर कृषि	0.0765 (हेक्टेयर)	0.0765
9	68	सरकारी	गैर कृषि	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
10	69	सरकारी	गैर कृषि	0.076 (हेक्टेयर)	0.076
गांव का नाम: सकत बेवर					
11	433	निजी	कृषि	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
12	435	सरकारी	गैर कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007

13	436	सरकारी	गैर कृषि	0.1316 (हेक्टेयर)	0.1316
14	437	सरकारी	गैर कृषि	0.3863 (हेक्टेयर)	0.3863
15	438	निजी	कृषि	0.5267 (हेक्टेयर)	0.5267
Total					1.9035

[फा. सं. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2026

S.O. 3496(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of new 2-Lane/4- Lane Major bridges at Km 3+500 on Kali River, Km 39+840 on Ganga River, Km 53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31+425, Km 31+710, Km 44+665 of NH-730C in the district of Mainpuri in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (F/R), Mainpuri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures for Construction of new 2-Lane/4-Lane Major bridges at Km 3+500 on Kali River, Km 39+840 on Ganga River, Km 53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31+425, Km 31+710, Km 44+665 of NH-730C in the district of Mainpuri in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: MAINPURI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhogaon					
Village: Gazianpur					
1	20	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0078 (Hectare)	0.0078
2	21	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1072 (Hectare)	0.1072
3	22	Private	Agriculture	0.1176 (Hectare)	0.1176
4	63	Government	Non Agriculture	0.1736 (Hectare)	0.1736
5	64	Government	Non Agriculture	0.0892 (Hectare)	0.0892

6	65	Government	Non Agriculture	0.0809 (Hectare)	0.0809
7	66	Private	Agriculture	0.0451 (Hectare)	0.0451
8	67	Government	Non Agriculture	0.0765 (Hectare)	0.0765
9	68	Government	Non Agriculture	0.067 (Hectare)	0.067
10	69	Government	Non Agriculture	0.076 (Hectare)	0.076
Village: Sakat Bewar					
11	433	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
12	435	Government	Non Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
13	436	Government	Non Agriculture	0.1316 (Hectare)	0.1316
14	437	Government	Non Agriculture	0.3863 (Hectare)	0.3863
15	438	Private	Agriculture	0.5267 (Hectare)	0.5267
Total					1.9035

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director